भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*24
बुधवार, 3 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

बेरोजगारी की दर

***24. चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी कितनी बढ़ी है;
(ग) देश में बेरोज़गारी की वर्तमान दर क्या है; और
(घ) क्या देश में बढ़ती बेरोज़गारी के कारण का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन करवाया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"बेरोजगारी की दर" के संबंध में चौधरी सुखराम सिंह यादव द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 03.02.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *24 के भाग (क) से (घ) के लिए दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किया गया वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) दर्शाता है कि देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी की दर नीचे दी गई है:

वर्ष	बेरोजगारी दर
2018-19	5.8%
2017-18	6.0%

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2018-19

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी क्षमता के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

*****